

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1625 / 2013 / जयपुर.
2. अपील संख्या – 401 / 2014 / जयपुर.
3. अपील संख्या – 402 / 2014 / जयपुर.
4. अपील संख्या – 403 / 2014 / जयपुर.

सहायक आयुक्त,
विशेष वृत राजस्थान, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स डी.सी.एम. श्रीराम कन्सोलिडेटेड लिमिटेड,
एम.आई. रोड, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप-राजकीय अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30 / 11 / 2018


निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त चारों अपीलों अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, विशेष वृत राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 सपटित राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2003 (जिसे आगे 'योजना-2003' कहा जायेगा) के तहत पारित आदेशों को अपास्त करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	अपीलीय अधिकारी आदेश विवरण		कर निर्धारण अधिकारी आदेश विवरण (वर्तमान अपील की विवादित राशि)			
		अपील संख्या	आदेश दिनांक	आदेश दिनांक	वसूलनीय ब्याज अनुदान	ब्याज	कुल
1625 / 13	2008-09	221 / अ.प्रा.-II / आरवीएटी	11.02.2013	07.09.2012	98,88,833	50,43,307	1,49,32,140
401 / 14	2009-10	273 / अ.प्रा.-II / आरवीएटी	10.09.2013	10.10.2012	98,88,833	40,39,588	1,39,28,420
402 / 14	2010-11(Ist Qtr)	274 / अ.प्रा.-II / आरवीएटी	10.09.2013	10.10.2012	24,72,209	8,91,231	33,63,440
403 / 14	2010-11(IIInd Qtr)	275 / अ.प्रा.-II / आरवीएटी	10.09.2013	10.10.2012	2,58,482	71,729	3,30,211

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से सभी प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।



 लगातार.....2

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (जिसे आगे 'योजना-2003' कहा जायेगा) के तहत ब्याज अनुदान हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा अभिशंषा किये जाने पर आयुक्त उद्योग विभाग द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी इकाई के द्वारा विस्तार और आधुनिकीकरण किये जाने के फलस्वरूप 5 प्रतिशत राशि तक ब्याज अनुदान हेतु पात्रता प्रमाण-पत्र संख्या 2/26 दिनांक 05.12.2005 जारी किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उच्चतम संदेय कर की गणना के लिये वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के आंकड़े पेश किये एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2006 को उच्चतम कर रूपये 6,09,93,053/- (संशोधित रूपये 6,03,24,992/-) वर्ष 2003-04 का मानते हुए पिछले तीन वर्ष का उच्चतम कर निर्धारित किया गया। इसी क्रम में प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा ब्याज आवेदन किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज अनुदान आदेश पारित किये गये। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 के प्रकाश में यह अभिनिर्धारित किया गया कि निर्धारण वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में उच्चतम संदेय कर की गणना में विक्रय प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत लाभ को जोड़कर आधार वर्ष के उच्चतम संदेय कर (Tax Payable) की गणना होगी, के प्रकाश में रिकॉर्ड पर प्रकट भूल होना मानकर पूर्व में उच्चतम संदेय कर के निर्धारण की राशियों को बदलकर अधिक स्वीकृत ब्याज अनुदान को विचाराधीन विवादित आदेशों द्वारा संशोधित करते हुए पूर्व में अधिक स्वीकृत ब्याज अनुदान की राशियों को वसूलनीय माना है तथा इसी क्रम में योजना-2003 के क्लॉज-10 के तहत ब्याज राशियों का आरोपण पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 10.10.2012 व 7.9.2012 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर ये अपीलें राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि उपरोक्त विवादित आदेशों के जरिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11 की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही में जो सब्सिडी प्रदान की गयी थी उसमें यह त्रुटि रह गयी थी कि योजना-2003 में ब्याज एवं मजदूरी अनुदान की गणना के लिये पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अधिकतम देय कर (Payable Tax) से

लगातार.....3



अधिक कर की सीमा तक लाभ दिया जाना था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटिवश पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 के देय कर के निर्धारण के समय तत्समय प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त की गई करमुक्ति की राशि को देय कर राशि में सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.10.2008 के स्पष्टीकरण अनुसार प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त की गई करमुक्ति राशि को पेयबल टैक्स की राशि में सम्मिलित किया जाना था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.10.2008 के स्पष्टीकरण अनुसार पूर्व में योजना-2003 के तहत पारित आदेशों को संशोधित कर आधार वर्ष के पेयबल टैक्स को संशोधित करते हुए पुनः आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की थी एवं कर निर्धारण अधिकारी वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत त्रुटि का सुधार करने के लिये अधिकृत थे परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के मैसर्स आर.के. मार्बल्स प्रा0 लि0 किशनगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर की अपील संख्या 956/2009/अजमेर निर्णय दिनांक 24.10.2011 के आलोक में कर निर्धारण आदेश को संशोधित करने के आदेश को अपास्त किया गया है जो उचित नहीं है क्योंकि पेयबल टैक्स की गणना करने में रही त्रुटि Mistake apparent on record की श्रेणी में आने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई अविधिक आदेश पारित नहीं किया गया था, फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के समक्ष केवल यह विधिक बिन्दु विवादित था कि अपीलार्थी को योजना-2003 के तहत जो अनुदान जारी किया गया था जिसके लिये योजना अनुसार जो अधिकतम देय कर वर्ष 2003-04 का निर्धारित किया गया था उसमें कोई त्रुटि नहीं थी एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जो स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 को जारी किया गया था उस आधार पर किसी भी आदेश को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड के मैसर्स आर. के. मार्बल्स के निर्णय की पुष्टि करते हुए अब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी राजस्व की निगरानी को अस्वीकार कर एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 60/2012 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम आर. के. मार्बल्स एवं इसी तरह वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम ओमेगा स्टोन एस.बी. सेल्स टैक्स रिवीजन पिटिशन संख्या 181-186/2012 निर्णय दिनांक 14.12.2016 में यह निर्णय किया गया है कि

लगातार.....4

31

दिनांक 10.10.2008 के स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्व पारित आदेशों को संशोधित नहीं किया जा सकता। इस तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अभिनिर्धारित विधि के आलोक में अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना विधि के विरुद्ध होगा, फलतः राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

7. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रेकॉर्ड एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

8. इस प्रकरण में विवाद के बिन्दु पर विवेचन करने से पूर्व संक्षेप में तथ्यात्मक विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसायियों को उद्योग स्थापना में प्रोत्साहन देने हेतु योजना-2003 जारी की गयी थी जिसमें नई औद्योगिक इकाईयों के साथ ही पूर्व में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा विस्तार एवं आधुनिकीकरण करने पर भी ब्याज एवं मजदूरी में अनुदान देने के प्रावधान किये गये थे। विस्तारीकरण के प्रकरणों में यह शर्त थी कि क्षमता विस्तार के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अधिकतम देय कर से अधिक चुकाये गये कर राशि की 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत राशि की सीमा तक अनुदान प्राप्त होगा।

9. इस तरह उक्त योजना-2003 के तहत प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 05.12.2005 को पात्रता प्रमाण-पत्र राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी किया गया था तब योजना-2003 की शर्तों अनुसार सर्वप्रथम कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2006 को पूर्ण विवेचना करते हुए पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में अधिकतम देय कर (Payable Tax) रूपये 6.09 करोड़ अवधारित किया गया एवं विस्तार के पश्चात् इस राशि से अधिक का देय कर होने पर वृद्धित कर की सीमा तक अनुदान दिये जाने के आदेश किये गये। इस तरह दिनांक 01.07.2006 को व्यवसायी का पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उच्चतम देय कर निर्धारण करने के आदेश किये गये, उसके आलोक में आगे के समस्त वर्ष अर्थात् वर्ष 2004-05 से वर्ष 2010-11 तक के ब्याज अनुदान हेतु पारित आदेशों में आधार वर्ष 2003-04 का उच्चतम देय कर रूपये 6.09 करोड़ का वार्षिक कर आधार वर्ष के लिये संगणित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.07.2006 के निर्धारण में वर्ष 2003-04 के देय कर (Payable Tax) में व्यवसायी के प्रोत्साहन योजना के तहत देय कर में करमुक्ति प्राप्त होने से उस कर राशि को "देय कर" नहीं माना गया था परन्तु राज्य

31



लगातार.....5

सरकार द्वारा उक्त योजना-2003 के तहत दिनांक 10.10.2008 को यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि पूर्ववर्ती वर्षों के उच्चतम देय कर के निर्धारण के समय प्रोत्साहन योजना-1987, 1989 व 1998 में प्राप्त किये जा रहे करमुक्ति के लाभ की राशि को भी देय कर (Payable Tax) में जोड़ने के पश्चात् उच्चतम देय कर निर्धारित किया जावे। साथ ही दिनांक 10.10.2008 को योजना-2003 के क्लॉज-9(b)(viii) में किसी त्रुटि को संशोधित करने के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 का प्रयोग करने की शक्ति भी प्रदान की गयी थी, जिसमें रिकॉर्ड पर किसी परिलक्षित भूल को सुधार किये जाने के प्रावधान हैं।

10. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समस्त अनुदान आदेशों में पूर्ववर्ती वर्षों का उच्चतम देय कर रूपये 6.09 करोड़ अवधारित किया हुआ था एवं उसे ही नियमानुसार मानते हुए उक्त विवादित आदेशों की अवधियों के लिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज अनुदान की राशि स्वीकृत की गयी थी परन्तु उन आदेशों को त्रुटिपूर्ण मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 7.9.2012 एवं 10.10.2012 द्वारा वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत यह संशोधन आदेश पारित किया गया कि वर्ष 2003-04 का उच्चतम देय कर का जो निर्धारण दिनांक 01.07.2006 को किया गया था वह त्रुटिपूर्ण था क्योंकि उसमें प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त करमुक्ति की राशि को शामिल नहीं किया गया था, अतः उस त्रुटि को सुधार करते हुए पूर्ववर्ती वर्षों के उच्चतम देय कर की राशि को रूपये 6.09 करोड़ के स्थान पर रूपये 7.35 करोड़ अवधारित कर दिया गया क्योंकि वर्ष 2001-02, 2002-03 एवं 2003-04 में से वर्ष 2001-02 में कुल देय कर में प्रोत्साहन योजनाओं के तहत प्राप्त की गई करमुक्ति की राशि को भी दिनांक 10.10.2008 के स्पष्टीकरण के आलोक में जोड़ दिया गया।

11. इस तरह वर्ष 2003-04 के स्थान पर वर्ष 2001-02 का उच्चतम देय कर आधार वर्ष के देय कर के रूप में निर्धारण किया गया एवं इस अनुसार संशोधित उच्चतम देय कर से अधिक राशि तक ही सब्सिडी दिया जाना नियमानुसार अनुमत मानते हुए पूर्व में दी गयी सब्सिडी राशि को पुनः वसूल योग्य मानते हुए संशोधित आदेश पारित किये गये। इन आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा यह अवधारित किया गया कि पूर्व में दिनांक 1.7.2006 के आदेश से जो उच्चतम देय कर का निर्धारण किया गया था उसमें किसी भी तरह का संशोधन वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत किये जाने की विधिक अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस सम्बन्ध



में इसी बिन्दु पर माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा ऊपर वर्णित निर्णय आर.के. मार्बल्स में यह अवधारित किया जा चुका है कि पूर्व में पारित आदेशों को धारा 33 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा किया जाना संशोधन के प्रावधान के Purview में नहीं आता है बल्कि यह पूर्व पारित आदेशों का Review किया जाना है, जिसका कोई प्रावधान योजना में नहीं है।

12. इन प्रकरणों में खण्डपीठ के समक्ष उक्त अपीलीय आदेशों को विवादित किया गया है, उसमें विधिक विवाद का केवलमात्र बिन्दु यह है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुदान योजना के तहत पूर्व में पारित किये गये आदेश को वेत अधिनियम 2003 की धारा 33 के तहत संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं। इस प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के पूर्ण विवेचित आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनके द्वारा दिया गया निर्णय माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा समान बिन्दु पर दिये गये निर्णय के आलोक में किया गया है जो कि कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 956-962/2009/अजमेर मैसर्स आर. के. मार्बल्स प्रा० लि० किशनगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त, अजमेर निर्णय दिनांक 24.10.2011 में पारित किया गया था एवं निर्णय के पैरा संख्या 22 का पूर्ण उल्लेख करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपीलों को स्वीकार करते हुए धारा 33 के तहत पारित आदेशों को अविधिक घोषित करते हुए अपास्त किया गया है। अपीलीय अधिकारी के ये विवादित आदेश दिनांक 11.2.2013 व 10.9.2013 को पारित किये गये थे। इसके पश्चात्, माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 24.10.2011 को राजस्व की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम आर. के. मार्बल्स (2017) 15 आर.जी.एस.टी.आर. 65 (राज.) में कर बोर्ड के आदेशों की पुष्टि करते हुए यह निर्णय दिया जा चुका है कि अधिनियम की धारा 33 में इस तरह के विवेचित आदेशों को संशोधित नहीं किया जा सकता। इस तरह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन आदेश पारित करने के समान बिन्दु पर निर्णय दे दिये जाने की स्थिति में अब अपीलीय आदेशों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जाना विधि एवं न्याय के विरुद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज (2011) 4 एस.सी.सी. 750 में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में संशोधन के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए किसी आदेश में पुनर्विचार (Review) कर नवीन आदेश पारित किये जाने को अविधिक बताया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

31

31

"12. On perusal of the above, in my view the scope and ambit of power u/s 37 of the RST Act is limited only to effect changes, if there is clerical error or defects or imperfections whereas the amendment brought in to change the nomenclature of subsidy, cannot be said to be even, prima facie, that they were defects or imperfections. The judgment rather supports the claim of respondent as against in favour of the Revenue.

13. The Apex court in the case of Commissioner of Central Excise v. Steelco Gujarat Ltd. (supra) has held that if there is a debatable issue there is no power to rectify.

14. The other judgments relied upon by the learned counsel for the respondent also support the contention that present is a case of reviewing rather and not a mistake apparent on the face of record.

15. Taking these sections in my view the orders passed by the AO were not proper and rightly interfered by the Tax Board.

16. Accordingly, in my view the finding reached by the Tax Board by holding that the AO wanted to review the order, being impermissible and rightly been interfered by the Tax Board.


17. Taking into consideration the aforesaid observations, in my view, the finding reached by the Tax Board is just and proper and is not required to be interfered with as no infirmity or illegality is found in the impugned order so as to call for interference of this court. The petitions being devoid of any merits, is dismissed."

13. राजस्व की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत कोई निर्णय हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय अनुसार इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी के निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया जाता है।

14. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य



(के. एल. जैन)
सदस्य